हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस)

दावा सं. 42/2022

-उनवान-

1. लालचन्द पुत्र नन्दुराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नं. 2 बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं (राज०)।

-वादी-

-बनाम-

1. राजस्थान-सरकार जरिये अधिकारी तहसीलदार झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं (राज०)।

-प्रतिवादी-

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. ओमप्रकाश सैनी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्रवण कुमार सैनी जीपी राज्य-सरकार की ओर से

:- दावा बाबत खातेदारी रिकार्ड दुरुस्ती :-

निर्णय दिनांक 18/4/22

वाद वादी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद वर्क आज्ञा का दिनांक 8.3.22 को बाबत खातेदारी रिकार्ड दुरुस्ती का विरुद्ध प्रतिवादी पेश किया कि ग्राम बगड़ पटवार हल्का बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 763 रकबा 0.1800 हैक्ट० व खसरा नं. 764 रकबा 2.2600 हैक्ट० कुल किता-2 कुल रकबा 2.4400 हैक्ट० स्थित है। उक्त भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व उसके परिवारजन संयुक्त रूप से

-2-

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

निवास करते आ रहे हैं वादी का सही नाम लालचन्द
पुत्र छोटूराम है तथा वादी के समस्त दस्तावेज आधार
कार्ड, पहचान पत्र, पानी का बिल आदि में वादी का
नाम लालचन्द पुत्र छोटूराम दर्ज है तथा वादी
की कृषि भूमि खसरा नम्बर 748, 749, 750 के राजस्व रिकार्ड
में भी वादी का नाम लालचन्द पुत्र छोटूराम दर्ज
चला आ रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती
के कारण वादी लालचन्द पुत्र छोटूराम की जगह
महेन्द्र पुत्र छोटूराम कर दिया, जबकि वादी का सही
नाम लालचन्द पुत्र छोटूराम ही दर्ज है इस कारण
यह वाद प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है
वादी के राजस्व रिकार्ड में भूलवश व गलती से वादी
का नाम महेन्द्र गलत दर्ज कर दिया। वादी उक्त भूमि
के राजस्व रिकार्ड में पाबन्द नहीं है वादी अपना
नाम लालचन्द दर्ज करवाने का अधिकारी है
वाद का कारण जब वादी ने अपने बैंक से ऋण
लेने के लिए दिनांक 07.3.2022 को जमाबंदी की
नकल ली तब वादी को ज्ञात हुआ कि राजस्व
रिकार्ड गलत बना हुआ है तब तहसीलदार महोदय
को रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो
तहसीलदार महोदय ने न्यायालय श्रीमान् के वाद प्रस्तुत कर
नाम दुरुस्त करवाने के लिए कहा तब वाद कारण
माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।
[illegible] वाद के [illegible] होने के कारण श्रीमान् को
वाद का आर्थिक क्षेत्राधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है
[illegible] तहसील [illegible] के
[illegible] भूमि खसरा नम्बर 763 रकबा 0.18 है० [illegible]
764 रकबा 0.26 है० राजस्व रिकार्ड में वादी का
नाम महेन्द्र की जगह लालचन्द [illegible] दुरुस्त किये जाने
का निवेदन किया [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

—3—

तारीख हुक्म	दावा नं. 42/22 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तलब किया गया तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकार्ड के अनुसार मिसल नामान्तरकरण के उक्त ख०न० की खातेदारी मंगाराम पुत्र नारायणराम के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो नामा० सं० 74 दिनांक 22-10-2005 विरासत से मंगाराम फौत होने पर गुलाबी पत्नि मंगाराम, गिरधारीलाल, महेन्द्र पुत्र मंगाराम विमला, सरोज, पुत्रियाँ मंगाराम के नाम स्वीकृत हुआ नामा० सं० 1816 दिनांक 12.11.21 न्यायालय के आदेश से मंगाराम के बजाय नत्थुराम स्वीकृत हुआ जो आज दिनांक दर्ज रिकार्ड है एवं अन्य खाता सं० 112 ख०न० 748, 749, 750 किता-3 रकबा 0.16 है० में नामा० सं० 1816, दिनांक 12.11.21 न्यायादेश से महेन्द्र कुमार पुत्र नत्थुराम के बजाय लालचंद पुत्र नत्थुराम स्वीकृत हुआ जो प्रार्थी द्वारा दावा के साथ परिचय पत्र, आधार कार्ड, संलग्न के अनुसार जिनमें नाम लालचंद पुत्र दर्ज है उनानुसार पेश किया गया जो शा० मिसल है। दौरान वाद पत्र के पठित तथ्यों व संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2074-2077 बाके ग्राम बगड़ में महेन्द्र पुत्र नत्थुराम हिस्सा 1/5 जाति कुम्हार सा. ग्राम खातेदार दर्ज है व जमाबंदी सम्वत 2074-2077 ग्राम बगड़ खाता सं० 112 के हाल ख०न० 748, 749, 750 में लालचन्द पुत्र नत्थुराम हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार सा० ग्राम खातेदार दर्ज रिकार्ड है अन्य प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान-पत्र में लालचंद पुत्र नत्थुराम नाम दर्ज होना स्पष्ट है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी(वादी) अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। जो दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।	
	<u>आदेश</u>	
	उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम बगड़ की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता सं० 101 के हाल ख०न० 763, 764 कुल किता-2	-4-

... अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(5)
	कुल रकबा 2.4400 हैक्टेयर में महेन्द्र पुत्र मथुराम के स्थान पर लालचन्द पुत्र मथुराम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं शेष अकांध जमाबन्दी बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार मुन्सफ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त कर पालना करें। खर्चा फरीक अपना स्वयं बरदाश्त करेंगे तदनुसार पर्चा डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली मिसल शुमार होकर पत्र नकल फैसला के एक प्रति तहसील दाखिल दफ्तर हो आदेश आज दिनांक 18-4-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। 18.04.2022 उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)